कार्यालयः वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर।

Office of Conservator of Forests, Territorial Circle, Medininagar.

ईमेल / Email: **cfmedininagar@gmail.com**

दूरभाष / Phone: **06562.224953,8987790232**

पत्रांक– 278

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

मेदिनीनगर, दिनांक – 06-06-2025

विषयः– **मेसर्स हिण्डालकों इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत लातेहार वन प्रमण्डल अंतर्गत चकला कोल ब्लॉक के लिए प्रस्तावित रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग निमार्ण हेतु 6.80 हे0 वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव (FP/JH/RAIL/156521/2022) के संबंध में।**

प्रसंगः – **भवदीय का पत्रांक 771 दिनांक 21.08.2024 एवं वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल का पत्रांक 1076 दिनांक 17.05.2025**

महाशय,

उपयुर्क्त विषयक प्रसांगिक पत्र के संबध में सूचित करना है कि मेसर्स हिण्डालकों इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत लातेहार वन प्रमण्डल अंतर्गत चकला कोल ब्लॉक के लिए प्रस्तावित रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग निमार्ण हेतु 6.80 हे0 वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव (FP/JH/RAIL/156521/2022) में भवदीय के प्रासंगिक पत्र द्वारा छः बिन्दुओं पर की गयी पृच्छा का निराकरण कर अनुपालन प्रतिवेदन वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल द्वारा मन्तव्य के साथ सात प्रतियों में समर्पित किया गया है। संचिका पर क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू , मेदिनीनगर का अनुमोदन प्राप्त है।

अतः वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल द्वारा उपलब्ध कराये गये निराकरण/अनुपालन प्रतिवेदन की (05) पाँच प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

अनु:0 यथोक्त।

आपका विश्वासी,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर।

4/6/25

Mining

चकला कोल ब्लॉक के लिए प्रस्तावित रेल मार्ग एवं सड़क निमार्ण हेतु किये गये पृच्छा का अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत हैः–

क्र0	परियोजना प्रस्ताव से संबंधित की गयी पृच्छा	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा की गयी पृच्छा का निराकरण	वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर का मंतव्य
1	प्रस्ताव के पार्ट–1 के कंडिका–B-2.4 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Component Wise Breakup स्पष्ट नहीं किया गया है।	प्रस्ताव के पार्ट–1 के कंडिका–B-2.4 में Component Wise Breakup स्पष्ट कर दिया गया है। तथा Rail & Road के उपयोग के लिए अधिसूचित वन भूमि, जंगल झाड़ी (Deemed Forest) एवं गैर वन भूमि का Plot Wise भूमि विवरण के साथ नक्शा संलग्न है। **अनुलग्नक – 1 एवं 2A & 2B**	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल, लातेहार द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रयोक्ता संस्थान द्वारा FORM A, Part-1 के कंडिका B-2.4 में component wise breakup Road & Railway का Online upload कर दिया गया है। Hard copy **अनुलग्नक–1, 2A & 2B** पर संलग्न है।
2	प्रस्ताव के पार्ट–1 के कंडिका–C में DGPS Map अपलोड नहीं है। इसे अपलोड किया जाना आवष्यक है।	प्रस्ताव के पार्ट–1 के कंडिका–C के अनुपालन में DGPS Map अपलोड कर दिया गया है।	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल, लातेहार द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रयोक्ता संस्थान द्वारा Form-A, Part-1 के कंडिका C(4) में DGPS Map Online upload कर दिया गया है।
3	प्रस्ताव में Barest in Minimum use of forest land संबंधी वचनबद्धता अप्राप्त है।	प्रस्ताव में Barest in Minimum use of forest land के अनुपालन से संबंधित वचनबद्धता पत्र संलग्न कर दिया गया है। **अनुलग्नक – 3**	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल, लातेहार द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रयोक्ता संस्थान द्वारा वचनबद्धता पत्र संलग्न कर दिया गया है **(अनुलग्नक–3)**।
4	प्रस्ताव में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि में Voilation नहीं किये जाने का वचनबद्धता अप्राप्त है।	प्रस्तावित वनभूमि में Violation नहीं किये जाने के संबंध में वचनबद्धता पत्र संलग्न कर दिया गया है। **अनुलग्नक – 4**	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल, लातेहार द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रस्तावित रोड एवं रेलवे मार्ग का स्थलीय जाँच वन क्षेत्र पदाधिकारी से कराया गया। जाँच के कम में पाया गया कि प्रयोक्ता संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार का कोई Violation नहीं किया गया है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि में Violation नहीं किये जाने के संबंध में वचनबद्धता संलग्न किया गया है **(अनुलग्नक–4)**।

5

विषयगत प्रस्ताव हेतु वैकल्पिक (Alternative) मार्ग का KML अनुपलब्ध है। **Alternative** के **Option-2** में अधिसूचित वनभूमि का रकबा शून्य एवं जंगल–झाड़ी 0.113 एकड़ है। जबकि प्रस्तावित परियोजना के लिये अधिसूचित वनभूमि 15.25 एकड़ एवं जंगल–झाड़ी भूमि 1.55 एकड़ दर्शाया गया है। **Alternative** के **Option-2** को प्रस्तावित क्यों नहीं किया गया है।

प्रस्तावित रेल एवं सड़क मार्ग के साथ दो वैकल्पिक (Alternative) मार्ग का KML संलग्न है। **अनुलग्नक–5 (Pendrive)**
राज्य सरकार द्वारा की गयी पृच्छा के आलोक में कहना है कि अधियाची संस्था के द्वारा प्रस्तावित रेल एवं सड़क मार्ग के साथ दो वैकल्पिक रेल एवं सड़क मार्ग का चयन किया गया था, जिसका विवरण निम्नवत् है :–

क्र0	विवरण	प्रस्तावित रेल एवं सड़क मार्ग रकबा (एकड़ में)	वैकल्पिक मार्ग –1 रकबा (एकड़ में)	वैकल्पिक मार्ग –2 रकबा (एकड़ में)
1	अधिसूचित वनभूमि	15.25	9.36	0.00
2	जंगल झाड़ी	1.55	2.23	0.113
3	गैर वनभूमि	11.08	8.41	45.807
4	कुल रकबा (एकड़ मे)	27.88	20.00	45.92
5	संरेखण की कुल लम्बाई (कि0मी0)	3.359	3.536	5.198
6	प्रभावित मकानों की संख्या	0	43	68

न्यूनतम वनभूमि क्षेत्र के उपयोग के आधार पर तीन वैकल्पिक मार्ग का चयन किया गया है जबकि वैकल्पिक मार्ग 1 एवं 2 की कुल लम्बाई प्रस्तावित रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग से अधिक है। वैकल्पिक मार्ग 1 एवं 2 घनी आदिवासी आबादी और दुर्गम (Undulating) क्षेत्र से होकर गुजरती है, जिससे समाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। इस कारण विस्थापन और रेल मार्ग निर्माण की लागत परियोजना की उपयुक्तता के अनुरूप नही है। साथ ही LARR Act 2013 के Section-8 (c) , और झारखण्ड LARR Act 2015 के फार्म–1 Appendix-v के बिन्दु कमांक 3 के अनुसार "परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि के केवल न्यूनतम क्षेत्र के अर्जन की प्रस्थापन की जाए"।

अनुलग्नक – 6

प्रस्तावित रेल एवं सड़क मार्ग को रेलवे विभाग द्वारा टोरी – शिवपुर मेन रेल लाईन से बिराटोली रेलवे साइडिंग के बाद Take up Point सुनिष्चित करते हुए प्रस्तावित रेल लाईन संरेखण को अनुमोदित किया गया है। जिसकी प्रति संलग्न है। **अनुलग्नक – 7**

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल, लातेहार द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रयोक्ता संस्थान द्वारा रोड एवं रेलवे मार्ग का वैकल्पिक मार्ग के साथ प्रस्तावित मार्ग का KML फाईल पेन ड्राइव में संलग्न है **(अनुलग्नक–5)**। प्रस्तावित सड़क के अतिरिक्त वैकल्पिक मार्ग–1 में कुल रकबा तथा वन भूमि का रकबा कम है परन्तु प्रस्तावित लम्बाई अधिक है तथा मार्ग घनी आबादी क्षेत्र से गुजर रहा है एवं 43 मकान बने हुए है। वैकल्पिक मार्ग 2 में वन भूमि का रकबा काफी कम है परन्तु कुल रकबा एवं सड़क की लम्बाई काफी अधिक हो रहा है तथा मार्ग के संरेखन में 68 घर आ रहें हैं। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सूचित किया गया है कि वैकल्पिक मार्ग–1 एवं 2 घनी आदिवासी आबादी एवं दूर्गम क्षेत्र से होकर गुजरती है जिससे समाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। इस कारण विस्थापन और रेल मार्ग निर्माण की लागत परियोजना की उपयुक्तता के अनुरूप नही है। साथ ही LARR Act 2013 के Section-8 (c) , और झारखण्ड LARR Act 2015 के फार्म–1 Appendix-v के बिन्दु कमांक 3 के अनुसार "परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि के केवल न्यूनतम क्षेत्र के अर्जन की प्रस्थापन की जाए"।

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि प्रस्तावित रेल एवं सड़क मार्ग को रेलवे विभाग द्वारा टोरी – शिवपुर मेन रेल लाईन से बिराटोली रेलवे साइडिंग के बाद Take up Point सुनिष्चित करते हुए प्रस्तावित रेल लाईन संरेखण को अनुमोदित किया गया है।

			प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित अभिलेख **अनुलग्नक–6 एवं 7 पर संलग्न है।** उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में प्रस्तावित मार्ग पर विचार किया जा सकता है।
6	विदित हो कि चकला कोल ब्लॉक हेतु एक अन्य प्रस्ताव खनन (503.578 हे0) के लिए प्रस्तावित है, जिसके item wise breakup में सड़क रेल एवं Infrastructure-30.0 हे0, वनभूमि का रकबा भी सम्मिलित किया गया है। उसके अतिरिक्त चकला कोल ब्लॉक के लिए प्रस्तावित रेल एवं सड़क मार्ग निर्माण हेतु अलग से 6.80 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव (FP/JH/RAIL/156521/2022) समर्पित है। इस तरह प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वनभूमि अपयोजन के लिये कुल दो परियोजनायें समर्पित किया गया है। जबकि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा निर्गत गाइडलाईन दिनांक 29.12.2023 के चैप्टर 7 के अनुसार उपरोक्त दोनों परियोजनाओं के लिये एक ही समेकित प्रस्ताव समर्पित किया जाना वांछनीय है।	चकला कोल ब्लॉक पूर्व में Essar Power Limited को 1000 मेगा वाट पावर प्लांट जिला– लातेहार के लिए कैपटिव पावर हेतू भारत सरकार, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 38011/11/2006– CA- I (Part) दिनांक 20.02.2007 के माध्यम से आवंटित किया गया था। **अनुलग्नक–8** भारत सरकार, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 13016/32/2007– CA-I (Part) दिनांक 10.06.2008 के माध्यम से चकला कोल ब्लॉक का माइन प्लान अनुमोदित किया गया था, जिसके पार्ट–01 के बिन्दु क्रमांक 1.1 में निहित है कि चकला कोल ब्लॉक का आवंटन 1000 मेगा वाट पावर प्लांट चकला, जिला–लातेहार के लिए कैपटिव पावर के लिए आंवटित है एवं बिन्दु क्रमांक 1.2 में निहित है कि कोयले का प्रेषण बेल्ट कन्वेयर के माध्यम से माइंस से पावर प्लांट तक किया जाएगा। **अनुलग्नक–9** पूर्व प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा चकला कोल ब्लॉक में वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव में कोयले के प्रेषण हेतु किसी भी प्रकार की वन भूमि का उपयोग नही दर्षाया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के आदेष के द्वारा वर्ष 2014 में कोल ब्लॉक के आवंटन को रद्द करने के बाद कोल मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा वर्ष 2021 में निलामी के माध्यम से चकला कोल ब्लॉक मेसर्स हिण्डाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड़ को आवंटित किया गया। कोल माइंस Special Provision ACT, 2015 के सेक्सन 8(4) एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी वन भूमि अपयोजन के मार्गदर्षिका 2019 एवं 2023 के पैरा 5.4(II) के अनुसार चकला कोल ब्लॉक वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव हिण्डाल्को इंडस्ट्रीज लि0 को हस्तांतरित किया गया है। **अनुलग्नक–10A & 10B** चकला कोल ब्लॉक खनन (503.578 हे0) के लिए वन भूमि अपयोजन प्रस्तावित है, जिसके item wise breakup में सड़क रेल एवं Infrastructure-30.0 हे0 वन भूमि का रकबा प्रस्तावित माइनिंग लीज क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित है एवं माइनिंग लिज क्षेत्र के बाहर	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल, लातेहार द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट की गयी है। इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित अभिलेख **अनुलग्नक–8, 9, 10A & 10B पर संलग्न है।**

		के लिए अलग से 6.80 हे0 वन भूमि अपयोजन का **प्रस्ताव (FP/JH/RAIL/156521/2022)** समर्पित किया गया है। पूर्व प्रयोक्ता अभिकरण Essar Power Limited के कैपटिव पावर कोल ब्लॉक, वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव में कोल प्रेषण हेतू रेल एवं सड़क मार्ग की योजना के बिना ही राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन के लिए **FAC** को समर्पित किया गया था, जिसे कोल ब्लॉक Cancellation के पष्चात **Vesting Order** के माध्यम से व्यवसायिक उपयोग हेतु पुनः आवंटित चकला कोल ब्लॉक के लिए वर्तमान प्रयोक्ता अभिकरण (हिण्डाल्कों इंडस्ट्रीज लिमिटेड) द्वारा रेल एवं सड़क मार्ग के लिए कोल ब्लॉक लीज क्षेत्र के बाहर पृथक से वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव समर्पित किया गया है।	

वन संरक्षक
प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर ।
5.6.25